

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

आयचना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
37/20	188, 183, RTA	4, 231412	इकड
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
प्रताप	बनाम	जयराम	

वकील :- राजेश भागिक आदेश पत्रक वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
6/20	अभिभाषक वादी द्वारा एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा188, 183, RTA..... आर टी एक्ट विरुद्ध प्रतिवादी गण के न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादी गण को जर्ज सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक5/8/20..... को पेश हो।	
5/20	आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक29/1/20..... को पेश हो। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा)	
7/20	आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक29/1/20..... को पेश हो। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा)	
29/20	आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक21/10/20..... को पेश हो। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा)	



दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश
11-6-24	<p>पत्रावली पेश हुई। वकूलाप करीकेन उपर। जवाब पेश नहीं हुआ लगन चाहते हैं। पत्रावली वरिष्ठ जवाब दिनांक 24-6-24 को पेश की।</p>
24.6.24	<p>पत्रावली पेश हुई। वकूलाप करीकेन उपर। जवाब पेश नहीं हुआ लगन चाहते हैं। पत्रावली वरिष्ठ जवाब दिनांक 8.7.24 को पेश हो।</p>
8.7.24	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वारी एवं ज्वपं वारी अनुपस्थित न्यायालय के रुक-रुक कर तीन बार आवजा लावाई गई। कोई उपस्थित नहीं हुआ प्रकरण अतः हाजरी अतः पेशी के खारिज किया जाना है। पत्रावली पेशाले शुमार होकर बाद लागील तकमील के साक्षिल एपसर हो।</p>